कार्यालय कलेक्टर,

जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष (कार्यालय) 07781–252216, 252911, (फैक्स) 252215

//निविदा विज्ञप्ति//

क्रमांक/33/कले./जि0ना0/2020/ 146 नारायणपुर दिनांक 11.03.2020

कलेक्टर, जिला नारायणपुर के पुरानी/अनुपयोगी सामग्रियों के विक्रय (नीलामी) अपलेखन हेतु बंद लिफाफे में निविदायें सर्व साधारण इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो से निम्न शर्तो के अधीन दिनांक 25.03.2020 समय अपरांह 2.00 बजे तक स्थान कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 19 (सी) जिला नजारत शाखा में आमंत्रित किया जाता है । निविदा दिनांक 25.03.2020 समय अपरान्ह 3.00 बजे जिला कार्यालय में समिति के समक्ष खोला जावेगा । शर्ते निम्नानुसार है:–

1. प्रत्येक सामग्री का अलग–अलग दर प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा में निविदाकार के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ धरोहर राशि रू. 1,000.00 मात्र का एफ.डी.आर. (बैंकर्स चेक)/सावधि जमा रसीद जमा करना अनिवार्य होगा । जो कलेक्टर, नारायणपुर के नाम से देय होगा ।
3. निविदा दिनांक 25.03.2020 को समय अपरान्ह 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष समिति द्वारा खोला जावेगा ।
4. अपूर्ण निविदा मान्य नहीं किया जावेगा ।
5. सामग्री जहां तथा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किया जावेगा । सूची में दर्शित सामग्री में कमी/वृद्धि हो सकती है ।
6. निविदा का लिफाफा बंद होना आवश्यक है तथा उसके उपर कंडम सामग्री एवं प्रेषित करने वाले का पूर्ण नाम पता एवं मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य है ।
7. कंडम सामग्रियां जिला कार्यालय में उपलब्ध है । जिसे कार्यालयीन समय पर सामग्रियों का निरीक्षण/अवलोकन किया जा सकता है ।
8. निविदा स्वीकृत करने के बाद 03 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि नगद जमा करना होगा । तथा सामग्री उठानी होगी अन्यथा सामग्री नियमानुसार उसके बाद वाले अन्य निविदाकर्ता को दे दी जावेगी । साथ ही उक्त निविदाकर्ता की प्रतिभूति की राशि राजसात कर दी जावेगी ।
9. कंडम सामग्रियों का विक्रय करना निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं प्रदाय करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला नारायणपुर की होगी । जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।
10. किसी भी प्रकार का सूचना कार्यालयीन सूचना पटल में निविदा प्राप्त/स्वीकृत करने के 24 घंटे के भीतर चस्पा कर दी जायेगी ।
11. उच्चतम निविदा ही स्वीकार की जावेगी । सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
12. सामग्री का विक्रय मूल्य विक्रय पश्चात तत्काल कार्यालय में नगद जमा किया जावेगा ।
13. निविदा प्रपत्र जिला कार्यालय के नजारत शाखा से दिनांक 25.03.2020 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है ।
14. नियम एवं शर्ते कलेक्टर कार्यालय जिला नारायणपुर के वेबसाइट narayanpur.gov.in में डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है एवं जिला नजारत कक्ष क्रमांक 19 (सी) में निविदा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है ।

कलेक्टर,
जिला नारायणपुर.

d-draive/lett.//1295/

पृ0क्रमांक/33/कले./जि0ना0/2020/ 147 नारायणपुर दिनांक 11.03.2020
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला कार्यालय नारायणपुर को सूचनार्थ । कृपया जिला कार्यालय के सूचना पटल पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा करने का कष्ट करें ।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एनआईसी) जिला कार्यालय नारायणपुर को कलेक्टर कार्यालय नारायणपुर की वेबसाइट पर निविदा विज्ञप्ति अपलोड करने हेतु ।
7. तहसीलदार, नारायणपुर, ओरछा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपने कार्यालय के सूचना पटल पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराना सुनिश्चित करें ।

कलेक्टर,
जिला नारायणपुर.